भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1973
दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भेषज विपणन पद्धति हेतु समान संहिता, 2024

1973. श्री कौशलेन्दर कुमारः
श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज कंपनियों के लिए भेषज विपणन पद्धति हेतु समान संहिता (यूसीपीएमपी), 2024 नामक एक नई विपणन संहिता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संहिता संबंधी नए दिशानिर्देशों और इसकी विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि चिकित्सकों और जन स्वास्थ्य संगठनों का एक वर्ग इन दिशानिर्देशों का विरोध किया हैं क्योंकि प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी अनैतिक विपणन पद्धतियों को जारी रखने की संभावना है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह नई संहिता वर्ष 2015 में आई इसी प्रकार की संहिता का संशोधित रूप है और नई संहिता में अभी भी वही खामियां हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी, हां। औषध विभाग ने 12 मार्च 2024 को औषधीय विपणन कार्यकलाप संबंधी एकरूप संहिता (यूसीपीएमपी) को अधिसूचित किया है। यूसीपीएमपी 2024 दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक विपणन गतिविधियों को रोकने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औषध उत्पादों का प्रचार एक उत्तरदायी तरीके से किया जाए। इस संहिता में स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों के सामने दवाओं को बढ़ावा देने के तरीके की परिकल्पना की गई है। औषध कंपनियों को अपने चिकित्सा प्रतिनिधियों अथवा ऐसे अन्य कर्मचारियों के आचरण के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होना चाहिए। यह

संहिता औषध कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य व्यवसायियों या उनके परिवार के सदस्यों को उपहार, मौद्रिक लाभ और आतिथ्य की आपूर्ति को प्रतिबंधित करती है। इस संहिता के अन्तर्गत दो स्तरीय शिकायत निर्णय तंत्र है, जहां अपील औषध विभाग के पास है।

(ग): जहां तक औषध विभाग का संबंध है, चिकित्सकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ): नई संहिता अर्थात् यूसीपीएमपी, 2024 अपने पिछले संस्करण अर्थात् यूसीपीएमपी, 2015 का एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस संहिता में इसके अनुपालन के लिए स्व-घोषणा के रूप में दायित्वों, चिकित्सा शिक्षा जारी रखने के लिए आयोजित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला पर व्यय के प्रकटीकरण की परिकल्पना है। औषध कंपनियाँ स्वतंत्र, यादृच्छिक अथवा जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा के अधीन हैं। यूसीपीएमपी संहिता, 2024 के तहत अपीलीय समिति इस संहिता के अन्तर्गत अपील मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो पहले फार्मा उद्योग संघ के पास थी और अब यह औषध विभाग के पास है। यूसीपीएमपी, 2024 के कार्यान्वयन के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर औषध कंपनियों को मौजूदा कानूनों के अनुसार संबंधित सरकारी विभागों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
